GOVERNMENT OF HARYANA/ हरियाणा सरकार
**Haryana Labour Welfare Board/ हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड**
Bays No. 29-30, Pocket-II, 1st Floor, Sector- 4, Panchkula, Pin-134112 (HR)
Ph. No. 0172- 2560226 Email- hlwb51hry@gmail.com

प्रेषक

**ई–मेल**

कल्याण आयुक्त, हरियाणा,
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड,
बेज़ नं0 29–30, पॉकेट–II,
सैक्टर–4, पंचकूला।

सेवा मे

1. सभी उप श्रम आयुक्त (कल्याण), हरियाणा राज्य में।
2. सभी श्रम कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
3. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य में।

**कमांक :एच.एल.डब्लयू.बी./योजना/2025/** 3278-307 **दिनांक :** 20-05-2025

विषय : **हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं एवं गतिविधियां/अवार्डस की पात्रता हेतू वेतन सीमा के संशोधन/निर्धारण बारे।**

.........

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में कार्यरत अंशदाता श्रमिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं एवं गतिविधियां/अवार्डस की पात्रता हेतू वेतन सीमा का माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा सरकार के अनुमोदन अनुसार निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है :–

| **हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं** | | | |
|---|---|---|---|
| क्र0 स0 | योजना का नाम | पूर्व में निर्धारित मासिक वेतन की अधिकतम सीमा | वर्तमान में निर्धारित /संशोधित मासिक वेतन की अधिकतम सीमा |
| 1. | श्रमिकों द्वारा नई साईकल खरीदने हेतू वित्तीय सहायता। | 18,000 रू0 | **20,000 रू0** |
| 2. | महिला श्रमिकों द्वारा सिलाई मशीन खरीदने हेतू वित्तीय सहायता। | 18,000 रू0 | **20,000 रू0** |
| 3. | श्रमिकों को एल0 टी0 सी0 की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे। | 18,000 रू0 | **20,000 रू0** |
| 4. | श्रमिकों के लड़कों व लड़कियों के लिए स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तिय सहायता उपलब्ध कराने बारे। | 25,000 रू0 | **27,000 रू0** |
| 5. | श्रमिक/श्रमिक के आश्रित बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। | 25,000 रू0 | **27,000 रू0** |
| 6. | श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे। | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है |
| 7. | श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे। | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है |
| 8. | श्रमिक/आश्रित को चश्मों के लिए वित्तीय सहायता देना। | 25,000 रू0 | **27,000 रू0** |
| 9. | कामगारों की लड़कियों तथा संबंधित संस्था में कार्यरत महिला श्रमिक की स्वयं शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता देना। | 25,000 रू0 | **27,000 रू0** |
| 10. | महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे। | 25,000 रू0 | **27,000 रू0** |
| 11. | कामगार की सेवाकाल के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से अपंगता होने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे। | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है |
| 12. | श्रमिक/आश्रित को डैन्टल केयर/जबड़ा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता देने बारे। | 25,000 रू0 | **27,000 रू0** |
| 13. | किसी भी दुर्घटना में अपंग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे। | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है |

**GOVERNMENT OF HARYANA**/ हरियाणा सरकार
**Haryana Labour Welfare Board**/ हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड
Bays No. 29-30, Pocket-II, 1st Floor, Sector- 4, Panchkula, Pin-134112 (HR)
Ph. No. 0172- 2560226 Email- hlwb51hry@gmail.com

| क्र0 स0 | योजना का नाम | पूर्व में निर्धारित मासिक वेतन की अधिकतम सीमा | वर्तमान में निर्धारित /संशोधित मासिक वेतन की अधिकतम सीमा |
|---|---|---|---|
| 14. | किसी भी कारण से अपनी श्रवण शक्ति खो चुके श्रमिक व उनके आश्रितों को श्रवण मशीन या Hearing Aids हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे। | 25,000 रू0 | **27,000 रू0** |
| 15. | अपंग श्रमिक तथा उनके आश्रितों को तिपहीया साईकल (Tri-Cycle) खरीदने हेतू वित्तीय सहायता। | 25,000 रू0 | **27,000 रू0** |
| 16. | श्रमिक की मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य कियाकम हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे। | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है |
| 17. | श्रमिकों के अपंग, अन्धेपन, मंदबुद्धि, मूक तथा बधिर बच्चों को वित्तीय सहायता देने बारे। | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है |
| 18. | मृतक कामगारों की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक मदद। | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है |
| 19. | मुख्यमन्त्री सामाजिक सुरक्षा योजना। | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है |
| 20. | श्रमिकों के लड़कों व अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी पर शगुन के तौर पर वित्तीय सहायता। | 25,000 रू0 | **27,000 रू0** |
| 21. | कोचिंग फीस– (श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायिक कोर्सो में परीक्षाओं की कोचिंग व U.P.S.C एवं H.P.S.C की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा तैयारी हेतू वित्तीय सहायता) | 25,000 रू0 | **27,000 रू0** |
| | **गतिविधियां/अवार्डस** | | |
| 1 | श्रमिकों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने बारे। | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है |
| 2 | मुख्यमन्त्री श्रम पुरस्कार योजना। | 25,000 रू0 | **27,000 रू0** |
| 3 | श्रम कल्याण केन्द्र।<br>श्रमिकों की लड़कियों व उनकी पत्नी को सिलाई–कढ़ाई, बुनाई इत्यादि का प्रशिक्षण देने हेतू श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना। | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है | कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नही है |
| 4 | श्रमिक कल्याण पुरस्कार | – | – |

नोट : उपरोक्त तालिका में निर्धारित/संशोधित मासिक वेतन सीमा कल्याणकारी योजनाओं एवं गतिविधियां/अवार्डस की पात्रता हेतू पत्र जारी की तिथि से प्रभावी/लागू है।

श्रम कल्याण अधिकारी
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग

**पृ0 कमांक** 3308-20 **दिनांक :** 20-05-2025

उक्त की एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजि सचिव, आदरणीय प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।
2. निजि सहायक, आदरणीय श्रम आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, एन0सी0आर0, गुरुग्राम।
4. सहायक जिला न्यायवादी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड।
5. लेखा अधिकारी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड।
6. सभी शाखाएं, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड।
7. प्रोजैक्ट मैनेजर, आई0टी0 टीम, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड।
8. कम्पयूटर प्रोग्रामर, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड।

श्रम कल्याण अधिकारी
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग